बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

संख्या–2143/3(स0)उ०स्था०(आरोप)01/2019(खंड) श्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के विरूद्ध विशेष निगरानी ईकाई, पटना द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप के लिए भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम एवं आई0पी0सी0 के विभिन्न संगत धाराओं के अधीन दायर वाद सं0–01/2019 दिनांक 14.01.2019 के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–764 दिनांक 01.02.2019 द्वारा श्री सिंह को निलम्बित करते हुए मुख्यालय–तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना निर्धारित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक–940, दिनांक–13.02.2019 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। जिसके अनुपालन में श्री सिंह द्वारा दिनाक 01.03.2019 को बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करते हुए यह अनुरोध किया गया कि विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा जप्त किये गये कागजातों की प्रति उपलब्ध कराया जाय ताकि कंडिकावार लिखित अभिकथन समर्पित किया जा सके।

श्री सिंह से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण विभागीय संकल्प संख्या–4265, दिनांक–30.09.2019 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी (जाँच प्राधिकार) तथा श्री कृष्ण कुमार राय, कार्यकारी प्रबंधक–सह–प्रभारी औद्योगिक अर्थशास्त्री, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

मुख्य जाँच आयुक्त के पत्रांक–112 दिनांक 12.02.2021 द्वारा प्राप्त अंतिम जाँच प्रतिवेदन में **"आरोप प्रमाणित नही होता है"** का जाँच प्रतिवेदन उद्योग विभाग को उपलब्ध कराया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत यह पाया गया कि जाँच प्राधिकार द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन में सभी सूचनाओं/साक्ष्यों पर विचार नहीं किया जा सका है। अतः जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए जाँच प्राधिकार को पुनः जाँच करने हेतु निदेश दिया जाय तथा उपस्थापन पदाधिकारी विशेष निगरानी इकाई, पटना से सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी आवश्यक सूचनाएँ एवं साक्ष्य जाँच प्राधिंकार के समक्ष उपस्थापित करें। फलतः विभागीय पत्रांक–2426 दिनांक 06.06.2022 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार से पुर्नजाँच करने का अनुरोध किया गया।

इसी क्रम में श्री संजय कुमार सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–15595/2022 वाद दायर किया गया।

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–15595/2022 संजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2024 को पारित न्यायादेश का *Operative part* निम्नवत है :–

(पृ0...1)

"Having regard to the facts and circumstances of the case and for the foregoing reasons, this Court finds that allowing the disciplinary authority to hold a de novo inquiry and continue with the departmental proceeding till a report to its satisfaction is received would amount to vesting the disciplinary authority with uncanalised and arbitrary powers, as has been held by the Hon'ble Apex Court in the case of K.D. Pandey, (supra) hence, the order dated 06.06.2022, issued by the Special Secretary to the Government, Industries Department, Government of Bihar, Patna, is not only bad in law, but also unsustainable in the eyes of law, hence, is quashed. Resultantly, the consequential order dated 11.07.2022, issued by the Chief Enquiry Commissioner, General Administrative Department, Governent of Bihar, Patna, has also got no legs to stand, hence, is also set aside."

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध एल0पी0ए0 दायर किये जाने के बिन्दु पर परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गयी।

पारित आदेश के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा परामर्श दिया गया है जो निम्नरूपेण है :-

"In the present matter, at no stage any scrutiny made whether charges are specific or vague. It shold have been ascertained whether the charge memo meets the criteria prescribed under Rule 17 of CCA Rules. Equally vulnerable was opinion of the then Principal Secretary requiring the disciplinary authority not to accept the report submitted by the inquiry officer and remit it for re-inquiry without giving specific reasons. Reasons assigned by him were as vague as the charge itself. The writ courts finding therefore, that re-inquiry was with a vies to obtain a report holding the charged officer guilty, obviously cannot be faulted. There is absolutely no material on the basis of which a different conclusion can be reached.

In view of aforesaid discussion, I do not find writ court to have erred though the finding being recorded on different aspect then what I have pointed out. However, end result of allowing writ application remains the same.

विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श/मंतव्य की मांग की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श प्राप्त हुआ कि प्रशासी विभाग द्वारा विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही यह भी बताया गया कि **माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में मुख्य जांच आयुक्त के पत्र सं0-112 दिनांक 12.02.2021 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए श्री सिंह को निलंबित मुक्त करने का एक मात्र विकल्प ही उपलब्ध है।**

चूँकि श्री संजय कुमार सिंह, निलंबित संयुक्त उद्योग निदेशक, मुख्यालय-तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना का निलंबन एवं पुर्नजाँच की कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के अनुमोदनोपरांत की गयी थी। तदालोक उन्हें निलंबन मुक्त करने हेतु संचिका मुख्य सचिव, बिहार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के अनुमोदन हेतु पृष्ठांकित की गयी।

(पृ0...2)

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा समरूप विषयक मामलों के अनुभव अनुसार समीक्षा करने हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्ठांकित की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित परामर्श दिये गये हैं :–

किसी न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति में कार्रवाई की प्रक्रिया का निर्धारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या–1093 दिनांक 20.11.2018 द्वारा किया गया है। उक्त अधिसूचना द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग–घ में संशोधन किया गया है। उक्त अधिसूचना द्वारा विहित प्रक्रिया के फलस्वरूप ऐसे मामलों, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से न्यायादेश पारित किये गये हों एवं उनके विरूद्ध कोई अपील या पुनर्विचार याचिका दायर करना संभव नहीं हो तो वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए प्रशासी विभाग प्रभारी मंत्री का आदेश प्राप्त कर कार्यान्वयन आदेश निर्गत कर सकता है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1093 दिनांक 20.11.2018 के आलोक में श्री संजय कुमार सिंह, निलंबित संयुक्त उद्योग निदेशक, मुख्यालय–तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना से संबंधित मामले को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति में रखे/निर्णय लिये जाने हेतु प्रेषित करने के पूर्व संचिका वित्त विभाग, बिहार, पटना के परामर्श हेतु पृष्ठांकित की गयी थी। जिस पर वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा टिप्पणी अंकित की गयी है कि **''विषयांकित मामले को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखने हेतु वित्त विभागीय अनापत्ति व्यक्त की जा सकती है''**।

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–15595/2022 मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विद्वान महाधिवक्ता, सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–1093 दिनांक 20.11.2018 के अनुपालन में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति की कार्यवाही ज्ञापांक–2601 दिनांक 28.04.2025 द्वारा सम्यक् विचारोपरांत **सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–15595/2022 (संजय कुमार सिंह बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 28.03.2024** को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ मुख्य जाँच आयुक्त द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवदेन को स्वीकार करते हुए श्री सिंह को निलम्बन से मुक्त किये जाने की अनुशंसा की गयी। यह याचिकाकर्त्ता के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा।

अतः मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 22.04.2025 को गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री संजय कुमार सिंह के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–2426 दिनांक 06.06.2022 द्वारा निर्गत पुर्नजाँच तदालोक में सामान्य प्रशासन विभाग के अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही ज्ञापांक–494 दिनांक 11.07.2022 को समाप्त करते हुए मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–112 दिनांक 12.02.2021 द्वारा निर्गत जाँच प्रतिवेदन जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध **''आरोप प्रमाणित नहीं होता है''** को यथावत रखने का निर्णय लेते हुए श्री संजय कुमार सिंह को आदेश निर्गत की तिथि से निलम्बन मुक्त किया जाता है।

(पृ0...3)

साथ ही श्री सिंह के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण उन्हें आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निलम्बन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता का समायोजन कर शेष वेतनादि का भुगतान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

यह संकल्प विशेष निगरानी इकाई, पटना का वाद संख्या–01/2019 दिनांक 14.01.2019 के मामले में लिये गये निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले आसाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(राधाकृष्ण चौहान)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 2143 पटना, दिनांकः– 08/05/25

3(स०)उ०स्था०(आरोप) 01/2019 खंड

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0) में एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, दरोगा राय पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, उद्योग विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rchauhan 08/05/25

सरकार के अवर सचिव

(पृ0...4)